

समक्ष नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० : 821836/2026

तारीख मजरुआ : 27-02-2026

तारीख पेशी : 07-04-2026

श्री प्यार सिंह पुत्र श्री मंगल राम पुत्र दिवाना, निवासी महाल झराल, मौजा घीण, तहसील बड़ोह,  
जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री प्यार सिंह पुत्र श्री मंगल राम पुत्र दिवाना, निवासी महाल झराल, मौजा घीण, तहसील बड़ोह,  
जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत में दिनांक 27-02-2026 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने  
प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम प्यार सिंह है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व  
अभिलेख महाल झराल में प्यार चन्द दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र  
के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, नकल जमाबंदी, स्व घोषणा पत्र, परिवार नकल व  
आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह  
किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी  
व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल झराल में प्रार्थी का नाम प्यार चन्द के स्थान पर प्यार चन्द उपनाम प्यार  
सिंह पुत्र श्री मंगल राम पुत्र दिवाना, निवासी महाल झराल, मौजा घीण, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0  
के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी  
07-04-2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत  
गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए  
जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 02-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री पी0 सी0 कौण्डल, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुलह,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 18-03-2026

स्वाति सूद पुत्री संजीव सूद पुत्र प्रीतिमा देवी, निवास विन्द्रावन वजरिया मुख्तयारे आम गोपाल दास  
पुत्र रतन लाल पुत्र दुर्गा दास, निवासी विन्द्रावन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

1. आशीष पुत्र वृज वाला पुत्री मथरा दास, निवासी निचला मैझा, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रतिवादीगण।

भूमि खाता नं0 342, खतौनी नं0 786 ता 789, खसरा कित्ता-5, रकबा तादादी 0-28-87 हैक्ट0, महाल निचला मैझा, पटवार सर्कल मैझा, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

जमेदार तहसील :

प्रार्थिया स्वाति सूद पुत्री संजीव सूद पुत्र प्रीतिमा देवी, निवास विन्द्रावन वजरिया मुख्तयारे आम गोपाल दास पुत्र रतन लाल पुत्र दुर्गा दास, निवासी विन्द्रावन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में तकसीम करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी को तामील करवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट प्रतिवादी दिए पते पर नहीं रहता है। प्रार्थी ने प्रतिवादी का सही पता पेश करने में असमर्थता जताई है तथा मुश्री मुनादी व राजपत्र इश्तहार जारी करने का अनुरोध किया। अतः न्यायालय की सन्तुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को मुश्री मुनादी/राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असागतन या वकालतन तारीख पेशी 18-03-2026 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य नहीं होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13-02-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री पी0 सी0 कौण्डल, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुलह,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 18-03-2026

श्री गोपाल दास पुत्र श्री रतन लाल पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी विन्द्रावन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

1. आशीष पुत्र वृज वाला पुत्री मथरा दास, निवासी निचला मैझा, 2. विपुल सूद पुत्र कृष्णा पत्नी भूपिन्द कुमार उपनाम भूविन्द्र कुमार, 3. अशु दीक्षित पत्नी विपुल सूद पुत्री कृष्णा, 4. ईशिता सूद पुत्री कृष्णा पत्नी भूपिन्द कुमार उपनाम भूविन्द्र कुमार, निवासीयान घुग्गर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रतिवादीगण।

भूमि खाता नं0 338, खतौनी नं0 782, खसरा कित्ता-7, रकबा तादादी 0-34-12 हैक्ट0, महाल निचला मैझा, पटवार सर्कल मैझा, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

जमेदार तहसील :

प्रार्थी श्री गोपाल दास पुत्र श्री रतन लाल पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी विन्द्रावन, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में तकसीम करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को तामील करवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट प्रतिवादीगण दिए पते पर नहीं रहते हैं। प्रार्थी ने प्रतिवादीगण का सही पता पेश करने में असमर्थता जताई है तथा मुश्री मुनादी व राजपत्र इश्तहार जारी करने का अनुरोध किया। अतः न्यायालय की सन्तुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को मुश्री मुनादी/राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-03-2026 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य नहीं होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13-02-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा:

कौशल्या देवी पुत्री पालू राम, वासी गांव बढल ठोर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

समस्त आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु तिथि अधिनियम, 1966.

नोटिस (मुश्री मुनादी) बनाम आम जनता।

प्रार्थिया कौशल्या देवी पुत्री पालू राम, वासी गांव बढल ठोर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अपनी जन्म तिथि जोकि 13-03-1955 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति/एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी  
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

केस नं0 : 35/C/2025 किस्म मुकद्दमा: नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख तारीख पेशी : 17-03-2026

श्रीमती विजय कुमारी पुत्री श्री रसीलू राम, निवासी महाल कमलोटा, मौजा कोहाला, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—भूमि खाता नम्बर 80, खतौनी नम्बर 87, खसरा नम्बर कित्ता-6, महाल कमलोटा, मौजा कोहाला, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में नाम दुरुस्त करवाने बारे प्रार्थना-पत्र।

इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश "मुश्री मुनादी" व चस्पांगी"

यह प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती विजय कुमारी पुत्री श्री रसीलू राम, निवासी महाल कमलोटा, मौजा कोहाला, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल कमलोटा, मौजा कोहाला, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व अभिलेख भूमि खेबट नम्बर 80, खतौनी नम्बर 87, खसरा कित्ता-6 में उसका नाम नीनू पुत्री रसीलू राम दर्ज है, जो गलत दर्ज है। बाबत में उसका सही नाम विजय कुमारी पुत्री रसीलू राम है। अब प्रार्थिया अपना नाम महाल कमलोटा, मौजा कोहाला, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व अभिलेख भूमि खेबट नम्बर 80, खतौनी नम्बर 87, खसरा कित्ता-6 में नीनू पुत्री रसीलू राम की बजाये विजय कुमारी पुत्री रसीलू राम दर्ज करवाना चाहती है।

अतः "इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश "मुश्री मुनादी" व चस्पांगी" के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 17-03-2026 दोपहर 2.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असागतन या वकालतन अपना उजर/एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्त दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समागत न होगा।

आज दिनांक 25-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 814456 / 2026

तारीख पेशी : 30-03-2026

राकेश कुमार पुत्र प्रमोध सिंह, निवासी महाल जुजपुल, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी राकेश कुमार पुत्र प्रमोध सिंह, निवासी महाल जुजपुल, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल सियोहटी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसके पिता का नाम प्रशोतम दर्ज हो गया है जबकि मृत्यु प्रमाण-पत्र में उसके पिता का नाम प्रमोध सिंह दर्ज है, जोकि उसके पिता का सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम प्रमोध सिंह उपनाम प्रशोतम दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-03-2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी राकेश कुमार पुत्र प्रमोध सिंह, निवासी महाल जुजपुल, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में उसके पिता का नाम राजस्व पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल सियोहटी के राजस्व अभिलेख में प्रमोध सिंह उपनाम प्रशोतम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 814457 / 2026

तारीख पेशी : 30-03-2026

प्रशोतम चन्द पुत्र सुन्का राम, निवासी महाल सिहोटी, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी प्रशोतम चन्द पुत्र सुन्का राम, निवासी महाल सिहोटी, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल सियोहटी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसके पिता का नाम सुन्का दर्ज हो गया है जबकि मृत्यु प्रमाण-पत्र में उसके पिता का नाम सुन्का राम दर्ज है, जोकि उसके पिता का सही नाम है।

दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम सुन्का राम उपनाम सुन्का दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-03-2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी प्रशोतम चन्द पुत्र सुन्का राम, निवासी महाल सिहोटी, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में उसके पिता का नाम राजस्व पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल सियोहटी के राजस्व अभिलेख में सुन्का राम उपनाम सुन्का दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-----  
**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 814458 / 2026

तारीख पेशी : 30-03-2026

धर्म सिंह पुत्र अमीं चन्द, निवासी महाल बलाहड़, डाकघर सलिहार, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) (मुख्तयारे आम-श्री राज सिंह)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी धर्म सिंह पुत्र अमीं चन्द, निवासी महाल बलाहड़, डाकघर सलिहार, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त गन्धवाड़ के राजस्व महाल छौंट, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसके भाई का नाम राये सिंह दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार नकल में उसके भाई का नाम राज सिंह दर्ज है, जोकि उसके भाई का सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण उसके भाई को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके भाई का नाम राज सिंह उपनाम राये सिंह दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-03-2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी धर्म सिंह पुत्र अमीं चन्द, निवासी महाल बलाहड़, डाकघर सलिहार, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में उसके भाई का नाम राजस्व पटवार वृत्त गन्धवाड़ के राजस्व महाल छौंट के राजस्व अभिलेख में राज सिंह उपनाम राये सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री स्वरूप सिंह पुत्र गंगा राम, गांव सिहाल उपरली, डाकघर मनोह सिहाल, तहसील फतेहपुर, जिला  
कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी श्री स्वरूप सिंह पुत्र गंगा राम, गांव सिहाल उपरली, डाकघर मनोह सिहाल, तहसील फतेहपुर,  
जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, स्कूल  
प्रमाण—पत्र में स्वरूप सिंह पठानिया दर्ज है, जोकि सही है। लेकिन राजस्व अभिलेख तहसील फतेहपुर के  
अन्तर्गत महाल सिहाल उपरली के रिकार्ड में स्वरूप सिंह है, जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख  
के अनुसार स्वरूप सिंह की जगह स्वरूप सिंह पठानिया दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त  
के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 02-04-2026 को प्रातः 10.00 बजे  
असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त  
दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न  
होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री हरिया पुत्र रामा, गांव वगडोली, डाकघर हौरी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी श्री हरिया पुत्र रामा, गांव वगडोली, डाकघर हौरी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार नकल में हरि सिंह दर्ज है, जोकि सही है। लेकिन राजस्व अभिलेख तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत महाल ठेहड के रिकार्ड में हरिया है, जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार हरिया की जगह हरिया उर्फ हरि सिंह दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 02-04-2026 को प्रातः 10.00 बजे असागत व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समागत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री नवीन पठानिया पुत्र औकार सिंह, गांव घोली, डाकघर लोहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा,  
हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी श्री नवीन पठानिया पुत्र औकार सिंह, गांव घोली, डाकघर लोहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण—पत्र, सर्विस रिकार्ड में नवीन पठानिया दर्ज है, जोकि सही है। लेकिन राजस्व अभिलेख, तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत पटवार वृत्त फतेहपुर के रिकार्ड में नवीन सिंह है, जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार नवीन सिंह की जगह नवीन पठानिया दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 02-04-2026 को प्रातः 10.00 बजे असागत व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समागत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री गगन सिंह पुत्र राज कुमार, गांव घलौर, डाकघर टकोली धिर्था, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा,  
हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी श्री गगन सिंह पुत्र राज कुमार, गांव घलौर, डाकघर टकोली धिर्था, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण—पत्र व पंचायत रिकार्ड में गगन सिंह दर्ज है, जोकि सही है। लेकिन राजस्व अभिलेख तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत पटवार वृत्त झुम्ब के रिकार्ड में गगन कुमार है, जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार गगन कुमार की जगह गगन सिंह दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 02-04-2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

-----